ग्राम पंचायत पिपलीधार, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पिपलीधार, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता ठाकुर	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्रीमति प्रीति सहोत्रा	23.1.2016 से लगातार

सचिव

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति भारती	1.4.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पिपलीधार के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर पाया जाना	0.04
2	8	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय की रसीदें जारी न करना	4.55

3	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न करना	10.50
4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	0.32
5	14	संविदाकार से संवैधानिक कटौतियां न करना	0.36

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पिपलीधार, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.2016 से 26.8.2016 तक ग्राम पंचायत पिपलीधार के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/2014, 8/2014, 7/2015 तथा माह 6/2013, 8/2014, 4/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पिपलीधार, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-4, दिनांक 26.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पिपलीधार से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत पिपलीधार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत पिपलीधार के अवधि 04/2013 से 03/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा योजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित

किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	497402.89	340709	838111.89	468189	369922.89
2014-15	369922.89	1181296	1551219.89	720175	831043.89
2015-16	831043.89	911175	1742219.89	692425	1049793.89

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति मे दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत पिपलीधार की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा योजना) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क** के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	61256	551178	612434	610423	2011
2014-15	2011	1035619	1037631	1037631	0
2015-16	0	459446	459446	459446	0

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति मे दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत पिपलीधार की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है , जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार **₹7,526** का अन्तर पाया गया जिसमें से केवल ₹3,500 का ही समाधान पाया गया तथा शेष ₹4026 का समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है , जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर ₹4026 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं०	**विवरण**		**राशि (₹)**
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1049793.89
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा 4(क)**	1049793.89	
	(ii) मनरेगा- पैरा **4(ख)**	0	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		1057319.89
3	अन्तर		7526

अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1049793.89
	(+) चैक संख्या: 82138 दिनांक 23.3.16 को जारी किया गया जिसे दिनांक 20.4.16 को भुनाया गया	3500	7526
	(+) राशि जिसका समाधान नहीं किया गया था	4026	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		1057319.89

6 रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव नियमानुसार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत पिपलीधार में दो रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 11 विभिन्न बैंक खाते खोले गए है। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये और भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत पिपलीधार द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹4.55 लाख की रसीदें जारी न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले रसीद जारी की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवर्णानुसार अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹4,54,927 की प्राप्त आय के बदले सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीदें जारी करनी सुनिश्चित की जाए।

क्रम सं०	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**दिनांक**	**प्राप्त राशि**
1	69	2.4.14	15150
2	69	5.5.14	9750
3	05	14.8.14	15000
4	24	20.7.15	8100
5	24	20.7.15	8100
6	24	22.7.15	47994
7	54	29.5.13	15000
8	59	30.7.13	15000
9	63	8.10.13	15000
10	68	27.1.14	15000
11	37	21.3.16	11550
12	37	23.3.16	35400
13	37	25.3.16	11550
14	37	31.3.16	5345
15	12	25.1.15	49994
16	16	31.1.15	73500
17	18	10.4.15	96000
18	1	10.4.14	7494
		कुल	**454927**

9 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	हस्तगत राशि
53	23.4.13	1122
54	29.5.13	2969
57	30.6.13	5795
60	31.7.13	4659
61	26.8.13	3103
62	30.9.13	1711
01	30.4.14	2388
08	10.11.14	4947
16	23.3.15	3398
19	23.4.15	4909
20	23.5.15	4217
21	10.6.15	13052
22	20.6.15	12071
24	28.7.15	8081
25	5.8.15	7183
28	30.9.15	7391
36	2.3.16	1402

10 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

11 अनुदान की ₹10.50 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर स्व-स्त्रोत तथा विविध अनुदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कुल ₹10,49,793.89 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में **परिशिष्ट-ग** के अनुसार 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की क्रमशः ₹1,27,370 व ₹1,74,321 भी शामिल थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है , जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि का खाता-'क" व खाता-'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा विविध अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत के अभिलेख को व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को यह भी सूचित किया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे विभिन्न कार्यों की Assessment (दो-चार कार्यों को छोड़कर) मापन पुस्तिकाओं में नहीं की गयी थी, जिसको अब किया जाना सुनिशित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये तथा प्रत्येक निर्माण कार्य की Assessment मापन पुस्तिकाओं में की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.32 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि " **परिशिष्ट-घ** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹31,829 के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 संविदाकार से ₹0.36 लाख की संवैधानिक कटौतियां न करना

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था परन्तु भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹36,450 की विभिन्न संवैधानिक कटौतियां नहीं की गयी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	बिल सं0	दिनांक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	बिल की राशि
1	09	15.7.14	जेसीबी मशीन द्वारा लिंक रोड़ करौड़ी का निर्माण	मै० माईलस्टोन कन्स्ट्रकशन , गाँव धुम्मी , डा० पोआबो , तह० शिमला	73500
2	शून्य	4.4.15	जेसीबी मशीन द्वारा टिक्कर घाटी से मनसा माता मन्दिर तक सड़क निर्माण	मै० माईल स्टोन कन्स्ट्रकशन, गाँव धुम्मी, डा० पोआबो, तह० शिमला	73500
3	413	20.4.15	जेसीबी मशीन द्वारा लिंक रोड़ श्यामा ढाला से चलहेट (वाया गटरु) तक सड़क निर्माण	अमन ठाकुर , पनेश , तह० शिमला	96000
				कुल	**243000**
				प्रतिभूति राशि 10%	24300
				आय कर 2%	4860
				बिक्री कर 2%	4860
				लेबर सैस 1%	2430
				कुल	**36450**

इस प्रकार संविदाकार के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है , जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। इसके अतिरिक्त इन राशियों के "उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अभिलेख में संलग्न नहीं थे जिन्हें संबन्धित संस्थाओं को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए।

15 क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार ₹0.04 लाख के Voids की कटौती न करना

चयनित मासों के अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-ड़** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹3,850 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 ग्राम पंचायत द्वारा ₹2,002 की मजदूरी का अनियमित भुगतान करना

चतनित माह 8/2014 में मनरेगा कार्य "भूमि सुधार श्री हिमा राम पुत्र श्री तुलसी राम" के अवधि 16.6.2014 से 29.6.2014 के मस्ट्रोल संख्या: 112 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या: 165) की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न मजदूरों को कुल ₹16,016 देय थी, परन्तु वास्तव में ₹18,018 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार ₹2,002 का अधिक भुगतान किया गया। यह भुगतान श्रीमती चम्पा देवी को किया गया , जिसका नाम मस्ट्रोल में अंकित तो था परन्तु वह उपरोक्त मस्ट्रोल की अवधि में अनुपस्थित थी अर्थात उसने एक भी दिन कार्य नहीं किया , जबकि मस्ट्रोल अनुसार उनको ₹154 प्रति दिन के हिसाब से 13 दिनों का कुल ₹2,002 का भुगतान किया गया जो कि अनियमित है। अतः अधिक भुगतान की वसूली संबन्धित से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

17 यात्रा भत्ते की ₹390 का अधिक भुगतान करना

चयनित माह 4/2015 में श्रीमति भारती , पंचायत सहायक को दिनांक 23.4.2015 को यात्रा भत्ते के रूप में ₹5,000 का भुगतान किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दैनिक

भत्ते के ₹4610 (1386+3224) का भुगतान ही देय था। अतः ₹390 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्0सं0	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2) एवं 15(10)
2	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29 (1)
3	क्लासिफाइड अब्सट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29 (4)
4	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 विविध

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का सही रख-रखाव न करना

ग्राम पंचायत पिपलीधार द्वारा आय संग्रह के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण सही प्रकार से नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में रसीद बुकों की प्राप्ति दिनांक , प्राप्त संख्या, उपयोग हेतु जारी करने की तिथि इत्यादि के कॉलम नहीं भरे गए थे। इसके अतिरिक्त एक समय में दो-दो रसीद बुकों का प्रयोग किया गया था। अतः उक्त पाई गयी त्रुटियों बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में स्टॉक रजिस्टर के समस्त कॉलम भरे जाने सुनिश्चित किए जायें व एक समय में एक ही रसीद बुक उपयोग में लाई जाये ताकि किसी भी प्रकार की वितीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय - व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम

पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत पिपलीधार द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि यह रजिस्टर खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः उक्त रजिस्टर को आगामी अंकेक्षण में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

21 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 26/2016–खण्ड–1–285–288 दिनाँकः 19.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पिपलीधार, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.